

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मुंगेर।

भरण पोषण (किमनल) वाद संख्या 84 / 2026

सचिन्द्र यादव.....आवेदक।

बनाम

राहुल देव पथिक.....विपक्षी।

आदेश

दिनांक 04.07.2026 आवेदक की हाजिरी है। वाद के पुकार पर आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए।

वाद का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत यह विदित होता है कि आवेदक की ओर से एक आवेदन, जिस पर उनके विद्वान अधिवक्ता का हस्ताक्षर है आज दाखिल किया गया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में लिपिकीय भूल के कारण कुछ बात टाईप हो गया है। इस आधार पर आवेदक अब इस केस को आगे चलाना नहीं चाहता एवं इस आधार पर वाद वापस लेना चाहता है।

आवेदक के उक्त आवेदन पर सुना। आवेदक अपने वाद को वापस लेना चाहता हैं। वाद वापस लेने में मुझे कोई व्यवधान प्रतीत नहीं होता है एवं वाद वापस लेने योग्य है।

ऐसी परिस्थिति में वाद को वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय, मुंगेर।

Date of Judgment/order	04-07-2026
Date of Reserving Judgment/order	04-07-2026
Uploading Date	08-07-2026
Uploaded by	Dhananjay Kumar (D.E.O.)